(10)

(85)

समाहरालय,मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)

आज दिनांक– 30/06/2016 के 04.30 बजे अपराहन् में मो0 सोहैल, भा.प्र.से. जिलाधिकारी –सह– अध्यक्ष,जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा की अध्यक्षता में चौकीदार के पद पर नियुक्ति के सम्बंध में आयोजित जिला अनुकम्पा समिति के बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति– यथा उपस्थिति पंजी के अनुसार।

कार्यवाही–

सर्वप्रथम जिलाधिकारी –सह– अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति,मधेपुरा द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा द्वारा अद्यतन सभी विभागीय निदेश पढ़कर सुनाया गया। समिति के समक्ष अनुकम्पा के आधार पर चौकीदार के पर पर नियुक्ति के सम्बंध में प्राप्त–03(दस) मामलों को विचारार्थ उपस्थापित किया गया। प्राप्त सभी आवेदन पत्रों एवं अन्य सम्बंधित प्रमाण पत्रों की जॉच की गई। जॉचोपरांत सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गये–

क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम, पदनाम,कार्यालय का नाम एवं पता	दिनांक–30/06/2016 को जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय।

01	श्रीमति सविता कुमारी	पिता–स्व0 दीप नारायण पासवान पूर्व चौकीदार, बीट संख्याँ–2/9, उदाकिशुनगंज अंचल।	सरकार के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–16973 दि0–10/12/14 द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक की विवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया गया है–"मृत सरकारी सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों की होने की स्थिति में विवाहिता पुत्री को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना जाएगा वशर्ते मुत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त कोई आश्रित न हो।" प्रश्नगत मामले में पारिवारिक सूची के अनुसार आवेदिका एक मात्र आश्रित है। जिसके अनुसार सरकार के संयुक्त सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3738 दिनांक–12/05/2016 से प्राप्त सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,पटना का पत्रांक–10528 दिनांक– 21/07/2015 से इस सम्बंध में मार्गदर्शन प्राप्त है। जिसके अनुसार "विवाहित पुत्री को आश्रितों की श्रेणी में लाने का निर्णय इस विभाग के परिपत्र संख्याँ– 16973 दिनांक–10/12/2014 के तहत् लिया गया है। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित करने की तिथि सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से पॉच बर्ष निर्धारित रहने के कारण दिनांक– 10/12/2009 के बाद हुई मृत्यु के मामले में उक्त पॉच वर्षो के अंदर आश्रितों द्वारा समर्पित आवेदन पर ही परिपत्र संख्याँ–16973 दिनांक–10/12/14 के आलोक में निर्णय लिया जा सकता है।" प्रश्नगत मामले में आवेदिका के पिता की मृत्यु की तिथि–28/04/2009 है जो दिनांक–10/12/2009 से पूर्व है। अतः सर्वसम्मति से जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्याँ– 16973 दिनांक–10/12/2014 प्रश्नगत मामले में लागू नहीं होने के कारण आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

02	श्री औरंगजेब आलम	पिता–स्व0नसीर उद्दीन पूर्व दफादार सर्किल संख्याँ–2,मुरलीगंज।	संगत प्रावधानों के आलोक में आवेदक को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु सभी वांधित कागजात/प्रमाण पत्रों यथा– मृत सरकारी सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र,मृत कर्मी की नियुक्ति का बैधता प्रमाण पत्र,सरकारी कर्मी के परिवार के अनियोजन सम्बंधी प्रमाण पत्र एवं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता,जन्म तिथि सम्बंधी प्रमाण पत्र इत्यादि की समीक्षा की गई। **सर्वसम्मति से जिला अनुकम्पा समिति द्वारा आवेदक को समूह ''घ'' चौकीदार के पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।** नियुक्ति के पूर्व आवेदक से चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,मधेपुरा से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र,सभी आश्रितों का भरण पोषण करने सम्बंधी शपथ पत्र (धोषणा पत्र) समर्पित करने के पश्चात् ही नियुक्ति हेतु सम्बंधित नियुक्ति प्राधिकार/कार्यालय प्रधान नियुक्ति पत्र निर्गत करेगें।
03	श्री सीताराम पासवान	स्व0सहदेव पासवान पूर्व चौकीदार, बीट संख्याँ–05/12 अंचल–गम्हरिया।	संगत प्रावधानों के आलोक में आवेदक को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु सभी वांधित कागजात/प्रमाण पत्रों यथा– मृत सरकारी सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र,मृत कर्मी की नियुक्ति का बैधता प्रमाण पत्र,सरकारी कर्मी के परिवार के अनियोजन सम्बंधी प्रमाण पत्र एवं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता,जन्म तिथि सम्बंधी प्रमाण पत्र इत्यादि की समीक्षा की गई। **सर्वसम्मति से जिला अनुकम्पा समिति द्वारा आवेदक को समूह ''घ'' चौकीदार के पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।** नियुक्ति के पूर्व आवेदक से असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,मधेपुरा से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र,सभी आश्रितों का भरण पोषण करने सम्बंधी शपथ पत्र (धोषणा पत्र) समर्पित करने के पश्चात् ही नियुक्ति हेतु सम्बंधित नियुक्ति प्राधिकार/कार्यालय प्रधान नियुक्ति पत्र निर्गत करेगें।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त अनुशंसित आवेदकों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार निम्नांकित तथ्यों पर अवश्य संतुष्ट हो लेगें–

(1)आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित कागजात/प्रमाण पत्र इत्यादि का सत्यापन कराने के उपरांत ही नियुक्ति पत्र निर्गत करेगें।

(2)आवेदक/आवेदिका से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेगें कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारावास का दंड नहीं दिया गया है तथा उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में अपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है,जिससे उन्हें मृत्यु दंड अेथवा कारावास की सजा होने की संभावना है अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक/आवेदिका को छह माह अथवा इससे अधिक दंड दिया जा सकता है।

(3)नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र भविष्य में अगर गलत पाया जाता है तो सम्बंधित आवेदक/आवेदिका की नौकरी समाप्त कर दी जायेगी तथा उनके द्वारा प्राप्त वेतनादि की वसूली की जायेगी।साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(4)नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि नियुक्ति पत्र पानेवाले आवेदक/आवेदिका यदि मृत चौकीदार/दफादार के अन्य आश्रितों का भरण पोषण नहीं करेगें तो उनकी नियुक्ति किसी भी समय रद्द कर दी जायेगी।

(5)नियुक्ति पानेवाले आवेदक/आवेदिका से उनकी सम्पति का ब्यौरा भी प्राप्त कर लिया जाय।

(6)नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि नियुक्ति पानेवाले आवेदक/आवेदिका को पुनर्विवाह नहीं करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। यदि पति/पत्नी की मृत्यु हो जाय तो विभाग से अनुमति प्राप्त कर ही पुनर्विवाह कर सकेगें।

(7)नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति से पुर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेगें कि नियुक्त होनेवाले कर्मचारी विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लेगें और यदि विवाहित हैं तो विवाह में दहेज नहीं लिया है।

(8)नियुक्ति से पूर्व सम्बंधित आवेदक/आवेदिका असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगें।